



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 24.11.2025

1. थाना फेस-1 पुलिस द्वारा फर्जी कॉल सेंटर से जुड़े 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 07 मोबाइल फोन, 04 डेबिट कार्ड, 03 सिमकार्ड, 01 पासबुक, 01 फिनो काम्बो बैंक किट, 04 कंपनी के फर्जी जॉइनिंग लेटर, 03 स्टॉप मोहर और 01 चेक बुक बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 24.11.2025 को थाना फेस-1 पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से फर्जी कॉल सेंटर से जुड़े 03 अभियुक्त 1. विशाल राघव पुत्र प्रवेन्द्र सिंह राघव 2. आमिर उस्मानी पुत्र एहसानुल्लाह 3. वरुण कुमार पुत्र रमेश मलिक को 44ए सेक्टर-16 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 06 स्मार्ट मोबाइल फोन, 01 कीपैड मोबाइल फोन, 04 डेबिट कार्ड, 03 सिमकार्ड, 01 पासबुक, 01 फिनो काम्बो बैंक किट, 04 कंपनी के फर्जी जॉइनिंग लेटर, 03 स्टॉप मोहर, 02 खाली लिफाफा सिमकार्ड और 01 चेक बुक बरामद की गई है ।

पूछताछ का विवरण/ अपराध करने का तरीका--

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि अभियुक्त विशाल अपने साथियों आमिर उस्मानी और वरुण कुमार के साथ मिलकर बैंक खातों, डेबिट कार्ड, चेक बुक और प्री-एक्टिवेटेड सिम कार्ड खरीदता था। उन्होंने कहा कि विशाल राघव से प्राप्त बैंक खातों की जानकारी फर्जी कॉल सेंटर के मालिक अनुज कुमार और रोमेश को देता था। अनुज और रोमेश बेरोजगार लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते और पैसे मांगते थे। इस दौरान विशाल पासबुक, चेक बुक, एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड अपने पास रखकर नकद निकालता और अपना कमीशन काटकर अनुज और रोमेश को देता था। तीनों अभियुक्त मिलकर अनुज और रोमेश को बैंक खाते और सिम कार्ड उपलब्ध कराते थे। वरुण कुमार द्वारा चलाए जाने वाले इस कॉल सेंटर में "जॉब प्लेसमेंट" के नाम पर बेरोजगारों से पंजीकरण और प्रोसेसिंग शुल्क वसूला जाता था। उन्होंने बताया कि प्राप्त राशि को यह नेटवर्क फर्जी बैंक खातों और सिम कार्ड के जरिए घुमाता था। अभियुक्त वरुण कुमार एक स्वतंत्र कॉल सेंटर भी संचालित करता था, जिसके माध्यम से वह बेरोजगार व्यक्तियों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता और उनसे धनराशि वसूलता था। अभियुक्त अनुज और रोमेश पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. विशाल राघव पुत्र प्रवेन्द्र सिंह राघव, निवासी शिवलोक कालोनी, सूर्य विहार, थाना क्वार्सी, अलीगढ़, उम्र 26 वर्ष ।
2. आमिर उस्मानी पुत्र एहसानुल्लाह, निवासी ग्राम पिपरौली बड़ा गाँव, थाना बलथरा, बलिया, वर्तमान पता सेक्टर 16, बसुन्धरा, थाना इंदरापुरम, गाजियाबाद, उम्र 52 वर्ष ।
3. वरुण कुमार पुत्र रमेश मलिक, निवासी ग्राम हसनपुर, लिषाढ, थाना कोतवाली, शामली, वर्तमान पता लक्ष्मीनगर, थाना लक्ष्मीनगर, दिल्ली, उम्र 27 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 495/2025 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/61(2) बीएनएस एवं 66 डी आईटी एक्ट, थाना फेस-1 नोएडा, गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण--

1. 06 स्मार्ट मोबाइल फोन, 01 कीपैड मोबाइल फोन,
2. 02 खाली लिफाफा सिमकार्ड, 03 सिमकार्ड
3. 04 डेबिट कार्ड, 01 पासबुक, 01 फिनो काम्बो बैंक किट, 01 चेक बुक
4. 04 कंपनी के फर्जी जॉइनिंग लेटर, 03 स्टांप मोहर

2. थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 06 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/ निशानदेही से फर्जी नंबर प्लेट लगी 16 चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 24.11.2025 को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 06 अभियुक्त 1. राहुल पुत्र राकेश, 2. रोहित पुत्र गंगाराम, 3. सुमित पुत्र परवीन, 4. संदेश पुत्र अमित, 5. सचिन पुत्र अशोक, 6. अर्जुन पुत्र भूरा को सेक्टर चाई-4 के पास जंगल की झाड़ियों के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त राहुल, सुमित, संदेश के कब्जे से 01-01 अवैध चाकू व अभियुक्तों के कब्जे/ निशानदेही से फर्जी नंबर प्लेट लगी 16 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है ।

पूछताछ का विवरण/ घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगण एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हैं। इस गिरोह का सरगना राहुल है, जबकि रोहित, सुमित, संदेश, सचिन और अर्जुन इसके सक्रिय सदस्य हैं। इस गिरोह के द्वारा एनसीआर क्षेत्र में विशेष रूप से हीरो स्प्लेंडर जैसी मोटरसाइकिलों को निशाना बनाया जाता है। रेकी करके मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद, गिरोह का सदस्य अर्जुन, जो मोटरसाइकिल मिस्त्री है, इन वाहनों के

महंगे पार्ट्स निकालकर बेच देता है। इसके अतिरिक्त, चोरी की मोटरसाइकिलें भी जरूरतमंदों को सस्ते दामों में बेचकर अवैध धन कमाते हैं। पकड़े जाने के डर से ये लोग अपने पास अवैध चाकू भी रखते हैं। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उन्होंने अलग-अलग स्थानों से दो दर्जन से अधिक दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। जिन वाहनों में से हीरो स्प्लेंडर प्लस रजि. UP16CD3983 अस्पताल के सामने, अल्फा-2 से चोरी की गई थी, जिसके संबंध में थाना बीटा-2 पर मु.अ.सं. 536/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। हीरो स्प्लेंडर रजि. UP16DW7064 ग्राम तुगलपुर से एवं टीवीएस (ब्लैक) रजि. UP16BS5953 शारदा अस्पताल के पास से चोरी की गई थीं, जिनके संबंध में थाना नॉलेज पार्क पर मु.अ.सं. 274/2025 व 273/2025 धारा 303(2) बीएनएस क्रमशः पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त हीरो स्प्लेंडर (ब्लैक) रजि. UP16CV3210 सूरजपुर कस्बे से चोरी की थी, जिसके संबंध में थाना सूरजपुर पर मु.अ.सं. 677/2025 धारा 303(2) बीएनएस तथा स्प्लेंडर रजि. UP16DK0752 अम्रपाली सोसायटी, थाना सेक्टर-39 क्षेत्र से चोरी की थी, जिसके संबंध में मु.अ.सं. 587/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। शेष 11 मोटरसाइकिलों के संबंध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. राहुल पुत्र राकेश निवासी घोड़ी बछेड़ी, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
2. रोहित पुत्र गंगाराम निवासी घोड़ी वछेड़ा, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
3. सुमित पुत्र परवीन निवासी सोठा, थाना बावली, शामली वर्तमान पता: कस्बा व थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
4. संदेश पुत्र अमित निवासी ग्राम वाड़ा कलेना, थाना खुर्जा, बुलंदशहर वर्तमान पता: सेक्टर म्यू-2, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
5. सचिन पुत्र अशोक निवासी कस्बा व थाना कुंडा, प्रतापगढ़ वर्तमान पता: ओमीक्रोन-3, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
6. अर्जुन पुत्र भूरा निवासी ग्राम जट्टारी, थाना खैर, अलीगढ़ वर्तमान पता पता: चाई-3, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 538/25 धारा 317(4)/ 317(5)/ 345(3) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास का विवरण-

● (अभियुक्त राहुल)

- 1- मु0अ0सं0 677/2025 – धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 2- मु0अ0सं0 274/2025 – धारा 303(2) बीएनएस, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।
- 3- मु0अ0सं0 587/2025 – धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-39 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

- 4- मु0अ0सं0 536/2025 – धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
- 5- मु0अ0सं0 273/2025 – धारा 303(2) बीएनएस, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।
- 6- मु0अ0सं0 308/2022 – धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
- 7- मु0अ0सं0 186/2023 – धारा 414/482 भादवि, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
- 8- मु0अ0सं0 311/2023 – धारा 379/411 भादवि, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
- 9- मु0अ0सं0 314/2023 – धारा 414/482 भादवि, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
- 10- मु0अ0सं0 433/2023 – धारा 392/411/482 भादवि, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
- 11- मु0अ0सं0 431/2023 – धारा 356/379 भादवि, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
- 12- मु0अ0सं0 437/2024 – धारा 60/63 आबकारी एक्ट, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
- 13- मु0अ0सं0 863/2017 – धारा 379/411 भादवि, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 14- मु0अ0सं0 499/2019 – धारा 379/411 भादवि, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 15- मु0अ0सं0 501/2019 – धारा 379/411 भादवि, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

• (अभियुक्त रोहित)

- 1- मु0अ0सं0 677/2025 – धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 2- मु0अ0सं0 274/2025 – धारा 303(2) बीएनएस, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।
- 3- मु0अ0सं0 587/2025 – धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-39 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
- 4- मु0अ0सं0 536/2025 – धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
- 5- मु0अ0सं0 273/2025 – धारा 303(2) बीएनएस, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।
- 6- मु0अ0सं0 100/2021 – धारा 397/386/342/412 भादवि, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
- 7- मु0अ0सं0 102/2021 – धारा 307 भादवि, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
- 8- मु0अ0सं0 106/2021 – धारा 25/27 आर्म्स एक्ट, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

• (अभियुक्त सुमित)

- 1- मु0अ0सं0 677/2025 – धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

- 2- मु0अ0सं0 274/2025 – धारा 303(2) बीएनएस, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।
- 3- मु0अ0सं0 587/2025 – धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-39 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
- 4- मु0अ0सं0 536/2025 – धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
- 5- मु0अ0सं0 273/2025 – धारा 303(2) बीएनएस, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।
- 6- मु0अ0सं0 450/2024 – धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

• (अभियुक्त संदेश)

- 1- मु0अ0सं0 677/2025 – धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 2- मु0अ0सं0 274/2025 – धारा 303(2) बीएनएस, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।
- 3- मु0अ0सं0 587/2025 – धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-39 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
- 4- मु0अ0सं0 536/2025 – धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
- 5- मु0अ0सं0 273/2025 – धारा 303(2) बीएनएस, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।
- 6- मु0अ0सं0 450/2024 – धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

• (अभियुक्त सचिन)

- 1- मु0अ0सं0 677/2025 – धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 2- मु0अ0सं0 274/2025 – धारा 303(2) बीएनएस, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।
- 3- मु0अ0सं0 587/2025 – धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-39 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
- 4- मु0अ0सं0 536/2025 – धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
- 5- मु0अ0सं0 273/2025 – धारा 303(2) बीएनएस, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।
- 6- मु0अ0सं0 450/2024 – धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

• (अभियुक्त अर्जुन)

- 1- मु0अ0सं0 677/2025 – धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 2- मु0अ0सं0 274/2025 – धारा 303(2) बीएनएस, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।

- 3- मु0अ0सं0 587/2025 – धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-39 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
- 4- मु0अ0सं0 536/2025 – धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
- 5- मु0अ0सं0 273/2025 – धारा 303(2) बीएनएस, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।
- 6- मु0अ0सं0 450/2024 – धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP16CV3210
2. मोटरसाइकिल रजि0 नं0 DL4SAS4134
3. मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP16DW7064
4. मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP16Z1746
5. मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP16AW8393
6. मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP16DK0752
7. मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP16CD3983
8. मोटरसाइकिल रजि0 नं0 DL8SBD2174
9. मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP13AQ9015
10. मोटरसाइकिल रजि0 नं0 DL9SBS4886
11. मोटरसाइकिल (बिना नंबर प्लेट) चैचिस नं0: MBLHA10EZB9E067, इंजन नं0: HA10ETB9E10306
12. मोटरसाइकिल (बिना नंबर प्लेट) चैचिस नं0: MBLHA10ADA9KL5, इंजन नं0: HA10ELD9A20272
13. मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP16BS5953
14. मोटरसाइकिल रजि0 नं0 HR29AZ5017
15. मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP16Z8144
16. मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP21BT1586
17. 03 अवैध चाकू

3.कासना पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 आरआरयू डिवाइस व घटना में प्रयुक्त कार बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **24.11.2025** को थाना कासना पुलिस द्वारा जनता के सहयोग से टॉवर के आरआरयू डिवाइस चोरी करने वाले 03 अभियुक्त 1. दिलीप पुत्र सुब्बा प्रसाद 2. श्रीराम पुत्र राजकुमार 3. राजकुमार पुत्र स्व0 गामा यादव को थाना कासना क्षेत्रांतर्गत से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किया गया 01 आरआरयू डिवाइस व घटना में प्रयुक्त कार रजि0नं0- UP16JT9249 बरामद की गई है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. दिलीप, पुत्र सुब्बा प्रसाद, निवासी ग्राम वेला सुल्तानपुर, थाना घौसी, मऊ; वर्तमान पता नवादा, बीटा-2, गौतमबुद्धनगर ।
2. श्रीराम, पुत्र राजकुमार, निवासी गडिया, थाना दन्नाहार, मैनपुरी; वर्तमान पता मुबारकपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर ।
3. राजकुमार, पुत्र स्व. गामा यादव, निवासी बबुवापुर, थाना सराय लखन सिंह, मऊ; वर्तमान पता डेल्टा-1, बी ब्लॉक, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 275/2025 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस, थाना कासना, गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण--

1- 01 आरआरयू डिवाइस

2- घटना में प्रयुक्त कार रजि0नं0- UP16JT9249